243

न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2012 निगरानी – 962/II/12

1. भूपचन्द पुत्र श्री छोटेलाल पअैल
2. श्रीमती प्रेम पत्नी श्री स्वामी पटेल
3. शांति बाई पत्नी श्री रामदयाल पटेल
   समस्त निवासीगण ग्राम डिगौनी तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. मुस. अभिलाषा पत्नी श्री कैलाश पटेल
2. मुस. राजरानी पत्नी श्री झल्लू पटेल
   दोनों निवासीगण ग्राम डिगौनी तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)
3. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण कं. 84/निगरानी/अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 3.4.2012 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य –

1– यह कि, आवेदक कं. 2 व 3 के स्वत्व व आधिपत्य की आराजी खसरा नं. 222/1 रकवा 0.107 हे. स्थित ग्राम डिगौनी तहसील राजनगर जिला छतरपुर में है। उक्त आराजी आवेदक कं. 2 श्रीमती प्रम एवं कं. 3 शांति बाई ने संयुक्त यप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2.11.10 को विक्रेता आवेदक कं. 1 भूपचंद, किशोरील, हरिनारायण पुत्रगण छोटेलाल पटेल से

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-962-दो/2012 जिला छतरपुर भूपचंद्र विरूद्ध अभिलाषा व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 84/निगरानी/अ-12/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 03-04-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-04-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 10.1.19 (आर.के.जैन) सदस्य	